अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में योजना भवन, लखनऊ में दिनॉक 19 फरवरी 2018 को अपरान्ह 1:00 बजे से आयोजित नीति कार्यान्वयन इकाई की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्नानुसार।

नीति कार्यान्वयन इकाई की पॅचम बैठक हेतु कार्य–सूची में सम्मिलित बिन्दुओं पर चर्चा के आधार पर निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

[redacted]

3— प्रदेश में 09 विभिन्न मण्डलों में स्टार्ट—अप जागरूकता कार्यक्रम 'स्टार्टअप एक्सप्रेस' कार्यशालाओं का आयोजन

स्टार्ट—अप की अवधारणा को बढ़ावा देने तथा युवाओं को **उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट—अप नीति—2017** के अन्तर्गत उपलब्ध शासकीय समर्थन के बारे में जागरुक किए जाने के उद्देश्य से आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन कार्यरत यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा स्थानीय 'नॉलेज पार्टनर्स' के सहयोग से प्रदेश के 18 जनपदों को आच्छादित करते हुए, 09 विभिन्न मण्डलों में स्टार्ट—अप जागरूकता कार्यक्रम **'स्टार्टअप एक्सप्रेस'** कार्यशालाओं के आयोजन की **योजना** प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित आयोजन के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक मण्डल में एक—दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिससे निकटवर्ती मण्डल के युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे। प्रत्येक आयोजन के पश्चात, उसके प्रतिभागी युवाओं को अपनी स्टार्ट—अप अवधारणा (Startup Ideas), सम्बन्धित स्टार्ट—अप कोऑर्निडेटर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु 5 दिनों का समय दिया जायेगा। चयन प्रक्रिया के 2 चक्रों द्वारा इन अवधारणाओं में से 3—5 फाइनलिस्ट्स को नामित किया जायेगा। इस प्रकार उक्त कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग 30 से 50 सम्भावित स्टार्ट—अप उद्यमियों को चयनित किया जा सकेगा तथा उन्हें उनके 'नॉलेज पार्टनर' की इन्क्यूबेशन सुविधाओं में प्री—इन्क्यूबेशन/ इन्क्यूबेशन की पेशकश की जायेगी। यह एकदिवसीय कार्यशालायें प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रस्ताव पर निम्नवत् सुझावों सहित अनुमोदन प्रदान किया गया :–

(क) यथाप्रस्तावित 09 मण्डलों के बजाये 10 मण्डलों में कार्यक्रम आयोजित किए जायें। कानपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम से पृथक करके झाँसी मण्डल में स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित किया जाये तथा इसमें झाँसी तथा चित्रकूट मण्डल के युवाओं को सम्मिलित किया जाये।

(ख) आयोजन के पश्चात, उसके प्रतिभागी युवाओं को अपनी स्टार्ट–अप अवधारणा (Startup Ideas), सम्बन्धित स्टार्ट–अप कोऑर्निडेटर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु यथा प्रस्तावित 5 दिनों का समय कम प्रतीत होता है। इसे बढाकर दो सप्ताह कर दिया जाये।

(ग) प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भरता त्याग कर स्थानीय 'नॉलेज पार्टनर्स' तथा मण्डलायुक्तों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कर लिये जायें।

(घ) यद्यपि प्रति स्थल, चयन प्रकिया के 2 चक्रों द्वारा 3–5 फाइनलिस्ट्स को नामित किया जाना उपयुक्त है, किन्तु उत्तम स्टार्ट–अप अवधारणाओं की दशा में इस सीमा को शिथिल किया जा सकता है।

(च) प्रस्तावित आयोजनों पर सम्भावित कुल अनुमानित व्यय रू 10.00 लाख का वहन प्रचार–प्रसार मद से किया जायेगा।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि मण्डलायुक्त कार्यालयों में उपलब्ध वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग वर्चुअल मेन्टरशिप उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जाये। वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयुक्त रख–रखाव सुनिश्चित कराये जाने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देशित किया गया।

4– नोएडा–दिल्ली क्षेत्र के चयनित इन्क्यूबेटर्स/संस्थाओं का भ्रमण एवँ वार्ता

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा हाल ही में अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स :–आईआईएम लखनऊ (नॉयडा परिसर), आईबी हब्स – नॉयडा तथा बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट टेक्नोलॉजी, नॉयडा का प्राथमिक भ्रमण, उनके कार्यकलापों के निरीक्षण हेतु किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त एमिटी इन्क्यूबेटर, JSSATE – STEP, KIET Incubator तथा NASSCOM एवँ IESA से वार्ता कर उन्हें इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

5– नये महानुभावों को मेन्टर्स के पैनल में सम्मिलित किया जाना

डॉ0 अपूर्व शर्मा, अध्यक्ष एवं सह–संस्थापक, मैसर्स वेन्चर कैटेलिस्ट्स तथा **श्री विनायक नाथ,** प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स वेन्चर कैटेलिस्ट्स अपने कार्यकलाप लखनऊ से संचालित कर रहे हैं। उक्त महानुभावों को ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति'' के अन्तर्गत मेन्टर्स के पैनल में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा विचोरापरान्त उक्त मेन्टर्स को "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति" के अन्तर्गत मेन्टर्स के पैनल में सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6– आईटी उपवन, लखनऊ को परिचालन व्ययों के फलस्वरूप हानि की प्रतिपूर्ति

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ "**आईटी उपवन**", लखनऊ में वर्ष 2015 से कार्यरत है। इसके अन्तर्गत 5 स्टार्ट–अप्स कार्यरत हैं। "**आईटी उपवन**" द्वारा वर्ष 2016–17 में परिचालन व्ययों की मद में रू 24,30,607/– का व्यय दर्शाया गया है एवँ "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति" के प्राविधानों के अन्तर्गत परिचालन व्ययों के फलस्वरूप हानि की प्रतिपूर्ति स्वरूप रु 5.00 लाख की सहायता का अनुरोध किया गया है।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की गई कि प्रकरण में आईटी उपवन की आय एवं परिचालन व्यय के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कर लिया जाये। "आईटी उपवन" को प्रोत्साहन धनराशि, शासनादेश में निहित प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी तथा धनराशि का वितरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुमोदन उपरान्त ही किया जाये।

7– आईटी उपवन, साहिबाबाद को परिचालन व्ययों के फलस्वरूप हानि की प्रतिपूर्ति

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ "**आईटी उपवन**", साहिबाबाद स्थित श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के परिसर में वर्ष 2014 से कार्यरत है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में 1 स्टार्ट–अप कार्यरत हैं। "**आईटी उपवन**" साहिबाबाद द्वारा वर्ष 2016–17 में परिचालन व्ययों की मद में रू 6,53,864/– का व्यय दर्शाया गया है एवँ "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति" के प्राविधानों के अन्तर्गत परिचालन व्ययों के फलस्वरूप हानि की प्रतिपूर्ति स्वरूप रु 5.00 लाख की सहायता का अनुरोध किया गया है।

नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की गई कि प्रकरण में आईटी उपवन की आय एवं परिचालन व्यय के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कर लिया जाये। "आईटी उपवन" को प्रोत्साहन धनराशि, शासनादेश में निहित प्राविधानों के अधीन अनुमन्य होगी तथा धनराशि का वितरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुमोदन उपरान्त ही किया जाये।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1
सॅख्या–296 / 78–1–2018–21आई0टी0 / 2017
लखनऊः दिनॉक 08 मार्च, 2018

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3 अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4 प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
5 अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
6 अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
8 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ ।
11 प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लि0।
12 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को ।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव।